भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2824
(22 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

एनआरएलएम के अंतर्गत संस्वीकृत ऋण

2824. श्री नीरज डांगी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत संस्वीकृत ऋण और इनके उपयोग का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने इन ऋणों के प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र आकलन किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) पिछले तीन वर्षों में दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों को दिए गए बैंक ऋण का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग): जी हां। डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत एसएचजी सदस्य ऋण का उपयोग उपभोग और आजीविका दोनों उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं। इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर इम्पैक्ट इवैल्यूएशन (3आईई) द्वारा 2019 में डीएवाई-एनआरएलएम का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में 09 राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के 27,000 परिवारों का सैम्पल लिया गया। महिला स्व-सहायता समूहों के प्रभावी ऋण उपयोग पद्धति पर अध्ययन के परिणाम निम्नानुसार हैं:

कार्यकलाप-वार ऋण उपयोग

अन्य कृषि कार्यकलाप	43.9%
गाय/भैंस की खरीद	7.7%
अन्य पशुधन कार्यकलाप	6.7%
बकरी/भेड़ की खरीद	6.3%
सुअरों की खरीद	3.5%
अन्य (उपभोग, स्वास्थ्य, आवास आदि सहित)	31.9%

जहां एसएचजी सदस्यों द्वारा ऋण उपयोग के ये मुख्य क्षेत्र हैं, वहीं प्रभावित परिवारों के अध्ययन के अन्य निष्कर्ष निम्नानुसार हैं-

- आधार राशि पर 19% आय में वृद्धि
- अनौपचारिक ऋण के भाग में 20% तक कमी
- बचत में 28% तक वृद्धि
- गौण व्यवसाय में महिला कामगारों की भागीदारी में वृद्धि।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध-I

पिछले तीन वर्षों में डीएवाई-एनआरएलम के अंतर्गत महिला एसएचजी को दिया गया बैंक ऋण

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	2018-19		2019-20		2020-21	
		एसएचजी की संख्या	वितरित और उपयोग की गई ऋण राशि	एसएचजी की संख्या	वितरित और उपयोग की गई ऋण राशि	एसएचजी की संख्या	वितरित और उपयोग की गई ऋण राशि
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	89	2.30
2	आंध्र प्रदेश	622816	18063.24	688626	20239.39	995495	25554.00
3	अरुणाचल प्रदेश	21	0.18	44	0.81	383	3.96
4	असम	19793	170.20	30978	332.57	73465	805.39
5	बिहार	401113	2881.11	433601	3649.82	530053	3494.84
6	छत्तीसगढ़	44616	372.85	46243	449.26	66539	633.62
7	गोवा	758	20.42	910	25.84	899	22.52
8	गुजरात	28001	234.74	25821	228.84	32727	225.68
9	हरियाणा	6159	50.06	7358	75.52	12914	134.52
10	हिमाचल प्रदेश	4505	57.78	5117	80.90	5807	96.70
11	जम्मू और कश्मीर	7538	120.73	8590	161.05	11280	185.59
12	झारखंड	46584	243.78	72891	510.98	108243	900.53
13	कर्नाटक	488277	11113.00	530779	12771.91	602986	14171.06
14	केरल	87225	3099.91	80429	2936.32	169669	3855.43
15	लद्दाख	-	-	-	-	48	1.44
16	लक्षद्वीप	-	-	-	-	3	0.02
17	मध्य प्रदेश	36052	212.51	43775	300.12	66988	508.78
18	महाराष्ट्र	92816	1396.83	113628	1795.69	132222	1998.55
19	मणिपुर	403	3.40	778	7.33	815	8.49
20	मेघालय	1742	11.16	2426	20.08	3563	37.17
21	मिजोरम	1005	14.79	1464	19.93	2229	34.24
22	नागालैंड	757	13.77	515	8.42	925	16.55
23	ओडिशा	163004	1787.29	205686	2389.43	260490	3124.09
24	पुदुचेरी	-	-	-	-	3665	90.33
25	पंजाब	3535	16.58	3393	18.81	5289	27.84
26	राजस्थान	42180	434.58	50528	599.33	60729	621.30
28	सिक्किम	1190	11.16	919	12.43	958	14.49
27	तमिलनाडु	144345	4986.09	145919	5249.37	204385	5505.73
29	तेलंगाना	336212	7613.77	254859	7734.03	436917	10106.57

30	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	-	-	-	-	109	0.44
31	त्रिपुरा	4147	27.93	7221	70.52	8607	106.88
32	उत्तराखंड	3167	17.75	4665	29.79	7121	50.37
33	उत्तर प्रदेश	23497	115.47	35287	158.27	48297	223.88
34	पश्चिम बंगाल	475047	7041.07	540563	9225.01	843592	10823.77
	कुल	**3086505**	**60132.13**	**3343013**	**69101.77**	**4697501**	**83387.08**

*****